Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding Constituting a Committee to investigate issues of social media.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । सर, यह जो कांग्रेस पार्टी है … (व्यवधान) सौ चूहे खाकर, बिल्ली चले हज को । यह संविधान है और संविधान में आर्टिकल-19 है । …(व्यवधान) ये सेपरेशन ऑफ फैक्ट, जो सोनिया जी आरटीआई लेकर आईं, वह आईटी एक्ट में 66ए लाकर, इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने का प्रयास किया । यह जो मानसिकता है, वह यह है कि यदि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ तो उसमें नेहरू का क्या रौल था, कांग्रेस का क्या रौल था, यह देश के सामने नहीं आना चाहिए । उसी तरह से यदि तिब्बत दे दिया, जिसके कारण …(व्यवधान) आज रूस अच्छा कर रहा है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिए ।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, आज आप समझिए कि ये तिब्बत की हिस्ट्री को मिटाना चाहते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : नो, नो ।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, ये 62 वार की हिस्ट्री को भुलाना चाहते हैं, इमरजेंसी को भुलाना चाहते हैं । …(व्यवधान) मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये कश्मीर के इतिहास को भुलाना चाहते हैं । यहां फारूख़ अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, इनको यह बताना चाहिए कि गुलाम मोहम्मद शाह को किस आधार पर कांग्रेस ने मुख्य मंत्री बनाया था, जिसके कारण कश्मीर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी मांग क्या है?

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: स्पीकर महोदय, फेसबुक और ट्वीटर पब्लिशर है या इंटरमिडियरी हैं, अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है । संविधान में आर्टिकल-19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया हुआ है । आज यदि यासीन मलिक का फोटो मनमोहन सिंह के साथ दिखाई देता है, जिसने इण्डियन एयर फोर्स के ऑफिसर को मारा, उसको रोकने की कोशिश है । मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बनाकर, कांग्रेस के समय किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका गया, उसकी व्यवस्था कीजिए और देश को वाइट पेपर में सब जानकारी दीजिए । कांग्रेस पार्टी को बताइए कि आप इस संविधान के कितने बड़े तोड़क हैं । इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत ।